


प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बासठ'

[7/3/2018]

प्रश्न सं. [क. 1827]

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्तु प्राप्ति विभाग
क्रमांक 7195 / 11 भू. प्र., मा. चि. शा., मा. ठो., 2012



ग्वालियर दिनांक 16/6/2012

अधीक्षक भू-अभिलेख,
भू-अभिलेख शाखा
कलेक्ट्रेट जिला - हिन्दुबाड़ा
(भ.प्र.)

10940

विषय- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्र. ए 0969 मजरे टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने वाले।

संदर्भ- (1) प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल का समस्त कलेक्टर्स को सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित पत्र क्र.एफ 11-1/2010/साल-शा.6 भोपाल दिनांक 8 जुलाई 2011.
(2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 781/11 भू. प्र./मा. चि. शा./मा. ठो./2012 ग्वालियर दिनांक 16.4.2012.

879
26/6/12
SIR (S.Y.)
26/6/12
26/6/12
26/6/12

उपर्युक्त विषय पर संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्तु व्यालियर में अधीक्षक भू-अभिलेख अधिकारियों की दिनांक 2.6.2012 को आयोजित की गई बैठक में मान.आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता के विहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, ऐसे मजरे टोलों को चिन्हांकित करें, जिन्हे राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जा सकता है।

अतः मजरे टोलों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन के लिये निम्नांकित मापदण्ड अपनाये जावें:-

- (अ) मूल राजस्व ग्राम से मजरे टोलों की दूरी लगभग 2 कि.मी. या अधिक होनी चाहिये।
- (ब) प्रथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम न हो, तथा प्रथक हुए उक्त ग्राम की आबादी 200 या अधिक होनी चाहिये।
- (स) प्रथक बनाये जा रहे, राजस्व ग्राम की चतुर्सीमायें मूल ग्राम से एवं अन्य सीमावर्ती ग्रामों से मिलनी चाहिये, मजरे टोलों से पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की सीमायें मूल ग्राम की सीमाओं के अन्दर ही स्थित न रहे।

अतः उपरोक्त अ.ब.स के मापदण्डों एवं म.प्र.भू-राजस्व संहिता में विद्वित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए जिने में, मजरे टोलों को राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु चिन्हांकित कर सूची, एवं सूजित किये जा रहे, नवीन राजस्व ग्रामों के मानचित्रों की प्रति, के साथ औचित्यपूर्ण प्रस्ताव निर्देशानुसार 15 से 20 दिवस के अन्दर प्राथमिकता देकर तैयार कर इस कार्यालय को भिजायाये।

मजरे टोलों से बनाये जाने वाले नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव, चिन्हांकित मजरे टोलों की नामवार सूची, मानचित्र, सुरक्षा हॉस्ट, इस तथ्य का विशेषतः ध्यान रखे जाने वाले आदेशित किया जाता है।

By
us
Ram

संस्कृत आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्तु
मध्य प्रदेश